विचार बिन्दु

चिंता से चित्त को संताप और आत्मा को दुर्बलता प्राप्त होती है, इसलिए चिंता को तो छोड़ ही देना चाहिए। –ऋग्वेद

कृत्रिम बुद्धि बनाम सृजनात्मकता

हमारे देखते-देखते जीवन के अनेकानेक क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धि का हस्तक्षेप, या सहयोग बहुत बढ़ गया है। यह तो बहुत ताज़ा बात है कि हमारे समाचार पत्रों में ठोक द्वारा दिये गए उत्तरों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसी तरह हर कोई घिबली शैली की तस्वीरों में ख़ुद को प्रस्तुत कर आनंदित हो रहा है। ये तो मात्र दो उदाहरण हैं। याद करें तो ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, और जिस द्रुत गति से जीवन में कृत्रिम बुद्धि का योगदान बढ़ता जा रहा है उसे देखते हुए हमें निकट भविष्य में ऐसे और अनेक करिश्मों के लिए तैयार रहना चाहिए। मनोरंजन और आनंद के लिए कृत्रिम बुद्धि के कुछ खेल-तमाशे अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जो लोग गंभीरता से विचार करते हैं वे इसके प्रयोगों को लेकर काफी चिंतित भी हैं।

एक मोटा सवाल तो यही है कि क्या एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब कृत्रिम बुद्धि नैसर्गिक बुद्धि को पूरी तरह विस्थापित ही कर देगी? क्या निकट भविष्य में हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धि हमारे निर्देश पर कविता, कहानी, फिल्म, नाटक, संगीत सब तैयार करके देगी और अब तक जो कलावंत ये सारे काम करते रहे हैं वे पूरी तरह बेरोज़गार और अप्रासंगिक हो जाएंगे? बेशक यह एक काल्पनिक सवाल है, और हर कोई जानता है कि ऐसा नहीं होगा (क्या पता हो ही जाए!), फिर भी यह सवाल बहुत सारे विचार बिंदु हमारे सामने रख देता है।

पहला सवाल तो यही हमारे सामने आता है कि आखिर सर्जनात्मकता क्या है और कैसे कृत्रिम बुद्धि उससे टकराती है। स्थूल रूप से बात करें तो मौलिकता, नयापन और भावनात्मक गहराई सर्जनात्मकता के ज़रूरी उपादान हैं और ये उपादान फिलहाल तो कृत्रिम बुद्धि में अनुपस्थित हैं। असल में कृत्रिम बुद्धि डेटा आधारित विश्लेषण करती है, भले ही वह डेटा कितना ही विशाल क्यों न हो। विश्लेषण के बाद वह उसी विश्लेषण के आधार पर आपके निर्देशानुसार कुछ जनरेट भी करने की सामर्थ्य रखती है। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। आप ए आई को प्रेमचंद के सारे उपन्यास दे दें और फिर उससे चाहें कि वह उनकी शैली में कुछ लिख कर देदे, तो ऐसा करना उसके लिए संभव होगा। वह उनकी भाषा शैली की नकल कर लेगा। सरसरी तौर पर उसका लिखा आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रेमचंद लिखते थे। लेकिन अभी तक यह मुमकिन नहीं हुआ है कि प्रेमचंद की जो संवेदना थी, उनके जो अनुभव थे, उन सब को भी कृत्रिम बुद्धि अपनी प्रस्तुति में ले आ सके। असल में कृत्रिम बुद्धि खुद कुछ नहीं रचती है, वह हमारे रचे को रीसाइकल करती है – इस बात को समझा जाना चाहिए।

लेकिन क्या इस वजह से हम कृत्रिम बुद्धि को पूरी तरह नकार सकते हैं? क्या उसकी सीमाओं को जानकर हम उसका सीमित उपयोग अपने हित में नहीं कर सकते हैं? क्या मनुष्य की सर्जनात्मकता और कृत्रिम बुद्धि की काबिलियत मिलकर ऐसा कुछ कर सकती है जो स्वागत योग्य हो? इस सवाल का जवाब हमारी फ़िल्में बखूबी देती हैं। इधर आने वाली बहुत सारी फिल्मों में ऐसे अनेक दृश्य देखने को मिलते हैं जिन्हें वास्तव में फ़िल्माना बहुत ही कठिन और व्यय साध्य होता, लेकिन कृत्रिम बुद्धि ने उन्हें संभव बना कर फ़िल्मों की प्रभावोत्पादकता को बढ़ा दिया। संगीत की दुनिया में भी ऐसा ही देखा जा सकता है। अभी हाल में एक रोचक प्रयोग से सामना हुआ। हमारे मित्र, और 'राष्ट्रदूत' के सुपरिचित स्तंभकार डॉ रामावतार शर्मा ने एक गीत लिखा और कृत्रिम बुद्धि को निर्देश दिया कि वह उसे संगीतबद्ध कर दे। कृत्रिम बुद्धि ने उसे कुछ-कुछ रैप शैली में संगीतबद्ध कर हाज़िर कर दिया। अब हमारे मित्र ने फिर ए आई से कहा कि उसे गीत शैली में युगल गीत के रूप में ढाल दिया जाए, और पलक झपकते ही उनके शब्द एक सुरीले युगल गीत के रूप में हम सुन रहे थे।यह उदाहरण बताता है कि कृत्रिम बुद्धि किस तरह आपकी सहायता कर सकती है।यह भी कि बहुत बार कृत्रिम बुद्धि रचित कृतियां रचनाकार के लिए प्रेरक और मार्गदर्शक भी साबित हो सकती हैं। रचनाकार अपनी प्रतिभा से कृत्रिम बुद्धि रचित कृति की नोक पलक संवार कर उसे मानवीय स्पर्श युक्त और प्रभावशाली बना सकता है। एक तरह से कृत्रिम बुद्धि उसे कच्चा माल सुलभ करा कर उसके श्रम को उसी तरह कम कर सकती है जिस तरह हमारे रसोई घर के उपकरणों ने गृहिणी के जीवन को सुगम बना दिया है। कृत्रिम बुद्धि के अवदान को इस नज़र से भी देखा जाना ज़रूरी है।

जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धि का उपयोग बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर अनेक आशंकाएं और संदेह भी सर उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह उठने लगा है कि अगर मैं कृत्रिम बुद्धि से यह कहूं कि वह जयशंकर प्रसाद की शैली में एक कविता रच दे या पिकासो की शैली में एक तस्वीर बना दे (ज़ाहिर है कि अन्य बहुत सारे निर्देश भी मैं दूंगा) तो कृत्रिम बुद्धि की जो सर्जना होगी उसका स्वत्त्वाधिकार किसका होगा? और यह भी कि अगर मैं उसे निर्देश देकर रवींद्र नाथ टैगोर की शैली की पचास कविताएं लिखवा लूं यह असल और नकल में अंतर कैसे किया जाएगा?

जीवन के बहुत सारे क्षेत्र और काम इस तरह के हैं जहां सर्जनात्मकता की बहुत कम अपेक्षा होती है। वहां कृत्रिम बुद्धि हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। इससे हम अपना समय और श्रम बचा सकते हैं और उसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, कृत्रिम बुद्धि में बड़े से बड़े डेटा को पलक झपकते ही संसाधित कर देने की अद्भुत क्षमता है और यह क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। कृत्रिम बुद्धि का सार्थक उपयोग हम अपनी विरासत के संठाहण और संरक्षण के लिए भी कर सकते हैं। न सिर्फ यह बल्कि उनके प्रदर्शन के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, और किया जा रहा है। असल में भारतीय वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण में इसका सही उपयोग अभी होना है, और जब होने लगेगा तो हम स्वयं इसकी सामर्थ्य से प्रभावित होंगे।

जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धि का उपयोग बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर अनेक आशंकाएं और संदेह भी सर उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह उठने लगा है कि अगर मैं कृत्रिम बुद्धि से यह कहूं कि वह जयशंकर प्रसाद की शैली में एक कविता रच दे या पिकासो की शैली में एक तस्वीर बना दे (ज़ाहिर है कि अन्य बहुत सारे निर्देश भी मैं दूंगा) तो कृत्रिम बुद्धि की जो सर्जना होगी उसका स्वत्त्वाधिकार किसका होगा? और यह भी कि अगर मैं उसे निर्देश देकर रवींद्र नाथ टैगोर की शैली की पचास कविताएं लिखवा लूं यह असल और नकल में अंतर कैसे किया जाएगा? क्या इस तरह पूरा परिदृश्य नकली माल से नहीं पट जाएगा? अन्य अनेक नैतिक सवाल भी उठेंगे। मसलन जब मनुष्य कुछ रचता है तो वह अनेक मर्यादाओं का भी ख़याल रखता है। कृत्रिम बुद्धि तो उन मर्यादाओं से परे है। इस तरह क्या एक वर्जनारहित और उत्तरदायित्व रहित परिदृश्य नहीं उभरने लगेगा? अभी भी हम देख रहे हैं कि ग्रोक से लोग जो अजीब-ओ-ग़रीब हरकतें करवा रहे हैं, ग्रोक बिना किसी ना-नुकर के वैसी हरकतें कर देता है। क्या कोई मनुष्य कभी ऐसा करेगा? बात वही कि मनुष्य के पास विवेक है, कृत्रिम बुद्धि के पास केवल डेटा है।

लेकिन एक संभावना मैं यह भी देखता हूं कि कल को कृत्रिम बुद्धि को भी सामान्य नैतिकताओं से लैस किया जा सकता है। उसे तो जो सिखाया जाता है वह सीख लेता/लेती है। मतलब यह कि सम्भावनाएं अनंत हैं। तकनीक जितनी तेज़ी से बदल और समृद्ध हो रही है, हमारे लिए उसकी कल्पना करना भी सम्भव नहीं है। हमारे पूर्वजों ने तो कभी हवा में उड़ने के बारे में भी नहीं सोचा था, हमने कभी यह नहीं सोचा था कि हमारी हथेली में सिमटा मोबाइल नामक एक उपकरण हमारी सारी ज़रूरतों का वन पॉइंट समाधान साबित हो जाएगा। हमने अपने बचपन में कंप्यूटर की कौन कल्पना की थी, जबकि आज वह हमारी ज़िंदगी का अभिन्न अंग बन चुका है। इसी तरह हम अनजाने में भी कृत्रिम बुद्धि की बहुत सारी सुविधाओं का आज लाभ उठा रहे हैं। भविष्य में इस पर हमारी निर्भरता और अधिक बढ़ेगी, यह निश्चित है।

देखना यही है कि इन सुविधाओं का हम अपने हित में कितना उपयोग कर पाते हैं और किस सीमा तक हम इन सुविधाओं को अपने ऊपर हावी हो जाने की इजाज़त दे देते हैं। आज भी तो यही हो रहा है। बहुत सारे लोग सूचना प्रौद्योगिकी का अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए उपयोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग रील्स जैसी निरर्थक गतिविधि में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। बात अंततः हमारे विवेक की है।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल,
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

ट्रंप टैरिफ : दिशा एवं दशा

रामपाल जाट

देवासुर संग्राम में असुरों के नायकों में बुद्धिमान, बलवान एवं अनेक गुण संपन्न नायक रहे हैं। भारत में हिरणकश्यप, रावण, कंस ख्यात नामो में है। यद्यपि हिरणयकश्यप के कुल में भक्त प्रहलाद, कंस के वंश में श्री कृष्ण तथा रावण के परिवार में विभीषण नायकों के रूप में प्रमुख रहे हैं। इससे यह तो स्पष्ट है कि असुर कोई अलग से जातीय पहचान नहीं थी वरन उनके कर्मों से ही उनकी गिनती असुरों के रूप में हुई। इसे तुलसीदास ने रामचरितमानस में "सुमति कुमति सब कें उर रहहीं। नाथ पुरान निगम अस कहहीं।।" चौपाई में प्रकट किया है। इसी को "राम भी चिरंतन है, रावण भी चिरंतन है।" उक्ति में व्यक्त किया है। मानव अपने कर्मों के आधार पर ही सुर और असुर के रूप में अपनी पहचान बनाता है। देवासुर का संधि विच्छेद देव असुर होता है, देव अच्छाई एवं असुर बुराई के मध्य सतत संघर्ष के प्रतीक हैं।

भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी एवं अटल बिहारी वाजपेई ऐसा नेतृत्व रहा जिनके सामने अमेरिका की धौंसपट्टी चल नहीं पाई। दोनों ने ही परमाणु विस्फोटों के समय अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का संज्ञान नहीं लिया जिससे अमेरिका को स्वतः अपने प्रतिबंध वापस लेने के लिए विवश होना पड़ा था। आसुरी शक्ति तभी पनपती है जब उसे समुचित रूप से चुनौती देने वाला नहीं होता है। जी. के. बिरला के अनुसार भारत स्वयं पूर्ण बाजार है। विश्व में उपभोक्ताओं की संख्या में भारत प्रथम स्थान पर है। इसी आधार पर दोनों प्रधानमंत्रियों की दृढ़ता के सामने अमेरिका को ही अपने कदम पीछे लेने पड़े थे। दूसरा भारत कृषि प्रधान देश है यह लोकोक्ति प्रकृति दत्त सच्चाई है। भारत के पास उपलब्ध संपूर्ण भूभाग में से 51 प्रतिशत से अधिक भूभाग कृषि योग्य है जो । अमेरिका में यह 16.57 प्रतिशत है। सयुंक्त राज्य अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की नवीनतम वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि में भारत प्रथम (17,53,694 वर्ग किमी), अमेरिका द्वितीय (16,52,028 वर्ग किमी) एवं चीन तृतीय (10,84,461 वर्ग किमी) स्थान पर है। भारत के उत्तर में हिमालय ठंडी हवाओं को रोकने वाला है, छः ऋतुओं का चक्र इस देश के लिए वरदान है। यहां की जलवायु की विविधता के कारण खाद्यान्न के अतिरिक्त फल, फूल, सब्जी, औषधि, मसाला उत्पादन में भारत का विश्व में विशिष्ट स्थान है। वर्षा, सर्दी, गर्मी विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए अनुकूलता प्रदान करती है। सर्द देशों में फसल उत्पादन अवधि 8 माह तक की है, जबकि भारत में 2 और 3 माह की अवधि में भी फसलें उत्पादित होती है।

भारत का किसान कृषि कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त है। इसलिए भारत का किसान अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रतिस्पर्धा में भी अपना यथोचित स्थान बनाए हुए है। इसी से 20वीं सदी की विश्वव्यापी मंदी में भी भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रही। 3 वर्ष पूर्व विश्वव्यापी कोरोना काल में अर्थव्यवस्था के 26 क्षेत्रों में से कृषि के अतिरिक्त सभी की विकास दर – 23 प्रतिशत तक चली गई थी जबकि कृषि के विकास दर लगभग चार प्रतिशत रही।

अभी भारत के अनेक अर्थशास्त्री ट्रंप टैरिफ को अवसर के रूप में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। यह एक प्रकार से ट्रंप टैरिफ के पक्ष में वातावरण बनाने जैसा है। वह यह भूल जाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार सकल घरेलू उत्पाद का 70 प्रतिशत तो घरेलू खपत पर निर्भर है। भारत का अमेरिका के साथ वर्ष 2024-25 का निर्यात 86.51 अरब डॉलर एवं आयात 45.33 अरब डॉलर और व्यापार अधिशेष 41.18 अरब डॉलर रहा है। जिसमें अमेरिका की आवश्यकतानुसार फार्मा, पेट्रोलियम पर अमेरिका ने आयात शुल्क आरोपित नहीं किया हुआ। भारत का निर्यात भारत की 1.9 प्रतिशत जीडीपी को ही प्रभावित करता है। भारत पर 9 अप्रैल 2025 को ट्रंप टैरिफ का आगाज 26 प्रतिशत टैरिफ आरोपित कर किया गया है। अमेरिकी टैरिफ के पक्षधर प्रसन्न होकर इसे भारत के लिए अवसर बता रहे हैं कि चीन पर 34 प्रतिशत, वियतनाम पर 46 प्रतिशत, बांग्लादेश पर 37 प्रतिशत की तुलना में भारत पर टैरिफ कम है और वही यह भी युक्ति गढ़ रहे हैं कि भारतकोष से तीन से आठ अरब डॉलर की ही हानि होगी। जबकि उसकी तुलना में अवसरों की संभावना अधिक है। इसके लिए नोमुरा के प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहे हैं जिसके अनुसार भारत सबसे कम प्रभावित होने वाला देश है। इसमें इस युक्ति का भी सहारा लिया जा रहा है कि टेक्सटाइल क्षेत्र में भारत को लाभ होने से 2027 तक 5 लाख नौकरियां बढ़ेगी। वहीं ट्रंप टैरिफ को 90 दिन के लिए स्थगित करने पर भी ताली बजा रहे हैं। जबकि अभी इस टैरिफ के कारण से विश्व भर में अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। इस 90 दिन की अवधि के लिए रोक का कारण अमेरिका शेयर और ब्रांड बाजार में अप्रत्याशित गिरावट के साथ बढ़ते व्यापार असंतुलन और तरलता संकट, ऋण-आय असंतुलन, टेस्ला का एशियाई कारोबारी चीनी कंपनी के हाथों खोना तथा फेडरल रिजर्व बैंक की चेतावनी कि टैरिफ वृद्धि से उपजी अनिश्चितता स्थायी आर्थिक हानि पहुंचा सकती है जिससे पूर्ण रोजगार बढ़ाने और महंगाई नियंत्रित रखने के लक्ष्य प्राप्ति खतरे में होगी। वैसे वे भूल जाते हैं कि अमेरिका और भारत दोनों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 131.84 अरब डॉलर से बढ़ा कर वर्ष 2030 तक 500 अरब डॉलर करने के लक्ष्य की घोषणा की है। जिसमें एफ-35 डिफेंस जेट्स, रेयर अर्थ मिनरल, मेडिटेक कॉरिडोर को चीन का विकल्प बनाने की चर्चा भी है। वैसे भी अमेरिका वह देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में कॉर्पोरेट करों का योगदान सर्वाधिक है। जो अपने हितों की चिंता अन्य देश की लूट के आधार पर भी करता है।

ट्रम्प टैरिफ की प्रतिक्रिया में चीन के द्वारा अमेरिका से आयात पर टैरिफ बढ़ाने से दोनों के मध्य टैरिफ युद्ध छिड़ गया है, चीन ने अमेरिका से आयात पर 125 प्रतिशत टैरिफ और अमेरिका ने चीन से आयात पर 245 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है।

'सर्वे भवंतु सुखिन' की भावना देवत्व की ओर ले जाती है तथा सबका अहित करके स्वयं का हित साधने की भावना आसुरी वृत्ति की ओर ले जाती है। अमेरिका के शक्तिशाली राष्ट्रपति अपनी शक्ति का सदुपयोग विश्व हित को ध्यान में रखकर करेंगे या विश्व को स्वयं की स्वार्थ पूर्ति के लिए उपयोग करने में करेंगे, यही निश्चित करेगा इस देवासुर संग्राम का परिणाम। भारत के लिए तो विश्व हित के लिए स्वयं को बचाकर रखने की प्राथमिकता है। भारत के राष्ट्रभक्तों का ध्यान इसी ओर केंद्रित होना स्वाभाविक है। इसी दृष्टिकोण से विचार करना वसुदेव कुटुंबकम की भावना को बलवती करेगा।

अमेरिका की चाहत के अनुसार सोया एवं डेयरी उत्पाद का भारत में ढेर लगा दिया तो तिलहन एवं दुग्ध उत्पादन विपरीत रूप से प्रभावित होंगे। इससे उत्पादकों को कम दाम मिलने से कंगाली में आटा गीला वाली कहावत चरितार्थ होगी। दिशा एवं दशा का सह-संबंध है, ट्रंप टैरिफ की जब दिशा ही सही नहीं है तो उसके परिणाम स्वरूप बनने वाली दशा का सही होना कल्पनातीत है।

–रामपाल जाट,
राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत

संविधान में शासन की त्रिवेणी व्यवस्था

रामनिवास बैरवा

पूंजीवादी लोकतंत्रों में व्यक्ति-केंदित पार्टी आधारित चुनाव प्रणाली सत्ता पर नियन्त्रण करने का माध्यम है तथा सत्ता प्राप्ति के बाद अपने आप को सर्वाधिकार सम्पन्न मानकर शासन चलाना सत्ता पर एकाधिकारवाद को जन्म देता है जिसका खामियाजा अन्ततः देश की जनता को ही भुगतना पड़ता है।

इसी एकाधिकारवादी सत्ता की एक झलक पिछले दिनों देखने को मिली, जब वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तथा सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक स्थागन-आदेश पारित कर दिये और सत्ताधारी पार्टी के संवैधानिक पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक सीमाओं का ज्ञान कराने लगे। साथ ही पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के द्वारा बाबरी मस्जिद-राम मंदिर मामले में निर्णय देने के पहले प्रधानमंत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट परिसर में विशेष मुलाकात की याद भी दिलायी गयी। जाहिर है, यहां संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के भी ऊपर सत्ताधिकार क्षेत्र के अहम की भूमिका साफ झलकती है।

यहाँ दो बातों की चर्चा आवश्यक है–पहली, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र ईकाइयां हैं। उन्हें यह स्वतन्त्रता संविधान के दायरे में रह कर कार्य करते समय प्राप्त होती है। कार्यपालिका और विधायिका को मिलकर अनुच्छेद 107 के अर्न्तगत नियम-कानून बनाने का अधिकार है, किन्तु वह कानून यदि भेदभाव करते हुए निरंकुश है अथवा संवैधानिक अधिकारों पर कुप्रभाव डालता है, तो वह कानून अवैध होगा-उसकी वैधता-अवैधता अथवा संविधान सम्मत होने का निर्णय न्यायपालिका ही करेगी। अनुच्छेद 141/142 में न्यायपालिका को दिये गये अधिकार तथा न्यायिक समीक्षा के अधिकार असीमित हैं।

दूसरी, संविधान में कानून बनाने के जितने भी विषय गिनाये गये हैं या निर्धारित किये गये हैं उन विषयों पर बनाये गये, कानून संविधान सम्मत है या भेदभाव पूर्ण है इसका आंकलन और मूल्यांकन करने के क्या-क्या आाधार हैं, जिनके आधारा पर न्यायपालिका विचार करे?

देखा जाये तो किसी कानून के आंकलन और मूल्यांकन के उन्हीं विषयों और तथ्यों के आधार पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और कार्यपालिका के कार्यों का मूल्यांकन और उनके अधिकार क्षेत्रों का निर्धारण होता है। और वे आधार हैं-किसी कानून विशेष के द्वारा देश के नागरिकों की, देश की जनता की आशाएं, देश की जनता की उम्मीदें कैसे परिलक्षित की जा रही हैं, कैसे अभिव्यक्त की जा रही हैं। जब विशेषज्ञ लोग लोकतंत्र के तीन स्तम्भ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका गिनाते हैं तो वे दरअसल संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं की गलत व्याख्या करते हैं, जो कि एडवोकेट्स स्मालप्रिंट की तरह है, उसमें प्रयुक्त शब्दों के शब्दकोषीय अर्थ खोजे जाते हैं बनिस्पत उनके सामाजिक निहितार्थ के। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये एक प्रकार से त्रिवेणी है तीन मुख्य धाराएं हैं, जो कि बालों की चुटिया की तरह संविधान का निर्माण करती है और ये तीन वेणियां हजारों-लाखों बालों के समूह से बनती है जो कि जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है।

कार्यपालिका की पूर्णता अन्य संवैधानिक प्राधिकारियों जैसे-सी.ए.जी. महाधिवक्ता, चुनाव आयोग आदि के साथ ही आई.ए.एस, आई.पी.एस. -अनुच्छेद 312 (2) और इनके तमाम प्रशासनिक तामझाम से है। न्यायपालिका की पूर्णता मुख्य-न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों, राज्यों के जजों, न्यायाधिकारियों और नीचे की अदालतों से होती है। विधायिका की पूर्णता सांसदों-विधायकों के चुनाव जीत जाने से ही नहीं होती है बल्कि उनके पीछे आम जनता, किसानों-मजदूरों और अन्य वर्गों के वोट के अलावा उनकी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व होने का दबाव भी होता है। यही संविधान की आत्मा भी है।

संविधान की इसी आत्मा को परिलक्षित करते हुए संविधान में उनको भाग 3 में मूल अधिकारों तथा भाग 4 में राज्यों की नीति के निदेशक तत्वों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मूल अधिकार जहां व्यक्तिगत विषयों से जुडे हुए हैं, वहीं राज्यों की नीति के निदेशक तत्वों का स्वरूप सामूहिक है, सामुदायिक है; वे समाज के विभिन्न वर्गों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आवश्यकताओं को उनके न्यूनतम स्तर तक प्राप्त करने की बात कहते हैं। संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज की विभिन्नताओं, विषमताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, बहुत हद तक उन्हें भोगा है, इसलिए उन बातों को, उन आवश्यकताओं को रेखांकित किया गया है और कार्यपालिका, विधायिका के किसी भी व्यतिक्रम, या जन आकांक्षाओं की अनदेखी करके संवैधानिक-मानकों का अतिक्रमण किये जाने पर न्यायपालिका को उनकी समीक्षा करने के अधिकार से सम्पन्न किया गया है। उससे भी अधिक, न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका को निर्देश देने के अधिकार से भी सम्पन्न किया गया है यह देखने के लिए कि त्रिवेणी की उन दो धाराओं ने, कार्यपालिका और विधायिका ने संविधान में उल्लिखित जन आकांक्षाओं का कहीं उल्लंघन तो नहीं किया है, अतिक्रमण तो नहीं किया है, उन्हें अनदेखा तो नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप, व्यक्ति केंद्रित लोकतांत्रित व्यवस्था कहीं एकाधिकार में नहीं बदल जाये, जिससे उपजा जन-आक्रोश कहीं व्यवस्था को बदलकर किसी अन्य शासन व्यवस्था की तरफ ना चली जाये।

–रामनिवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

रानीवाड़ा बायपास पर डेंजर पॉइंट बना हादसों की वजह

स्थानीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग को जानकारी होने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, कस्बेवासियों में नाराजगी

रानीवाड़ा, (निसं.)। रानीवाड़ा कस्बे के सांचौर-भीनमाल बायपास पर कोट की ढाणी चौराहे के समीप एक डेंजर पॉइंट लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। स्थानीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग को जानकारी होने के बावजूद अब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है, जिससे कस्बेवासियों में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी देखी जा रही है।

जानकारी के अनुसार, दो वर्ष पहले तत्कालीन नगरपालिका ने बिजली बोर्ड कार्यालय के पास पक्का नाला निर्माण कराया था, लेकिन तकनीकी निरीक्षण के अभाव में इसका लेवल सही तरीके से नहीं रखा गया, जिससे यह नाकारा साबित हो रहा है। इसी नाले का सड़क क्रॉसिंग सड़क के स्तर से ऊंचा होने के कारण वाहन चालक यहां दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। सड़क की ओर 90 डिग्री का गड्ढा होने से कारें उतरते ही फंस जाती हैं, जिससे उनके इंजन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पिछले दो माह में कम से कम 10 कारों को नुकसान हो चुका है।

सामाजिक कार्यकर्ता सुखदेव सिंह बताते हैं कि अधिकांश गुजराती यात्री इस मार्ग से गुजरते समय दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। भीनमाल रेलवे फाटक बंद होने की स्थिति में जल्दबाजी में शॉर्टकट लेने वाले वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कई बैठकों में प्रशासन से समाधान की अपील की गई, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

सरपंच प्रतिनिधि मफाराम राणा का कहना है कि इस समस्या को हल करने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है।

गौरतलब है कि रामसीन से रानीवाड़ा के बीच टोल रोड निर्माणाधीन है। यदि विभाग चाहे तो इस समस्या का तुरंत समाधान किया जा सकता है, लेकिन अनदेखी के चलते हादसे बढ़ते जा रहे हैं।

संविदा डॉक्टर्स की सैलरी आधी करने का फैसला

- **56 हजार की जगह अब 28 हजार रुपए मिलेंगे**
- **अलग-अलग पोस्ट पर 2855 पदों पर भर्तियां होंगी**

बीकानेर, (निसं)। राजस्थान सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने वाली डॉक्टर्स की सैलरी आधी करने का फैसला किया है। अब तक कॉन्ट्रैक्ट वाले डॉक्टर्स को प्रतिमाह 56 हजार रुपए सैलरी मिलती थी, जिसे घटाकर 28 हजार रुपए किया गया है। वहीं, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों के कुल 2855 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां की जाएंगी। इनमें फीमेल हेल्थ वर्कर, एलोपैथी मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल लैब टेक्निशियन, नर्स और फार्मा असिस्टेंट के पद शामिल हैं। सभी नियुक्तियां जिला स्तर पर जिला हेल्थ समितियों के माध्यम से की जाएंगी। प्रदेश के सभी जिलों को एमबीबीएस डॉक्टर के 162 पद भी दिए गए हैं। मेडिकल ऑफिसर की योग्यता को ही इस पद के लिए निर्धारित किया गया है।

मिशन निदेशक डॉ. भारती दीक्षित की ओर से जारी इस आदेश में डॉक्टर का वेतन 28 हजार 50 रुपए तय किया गया है। बताया जा रहा है कि यह निर्णय पिछले आदेशों से एकदम विपरीत है। 30 मार्च 2022 को तत्कालीन मिशन निदेशक डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने पूर्णकालिक संविदा डॉक्टरों का वेतन 56600 रुपए निर्धारित किया था। यहां तक कि एक मार्च 2024 को जारी एक अन्य आदेश में भी संविदा डॉक्टरों के लिए यही वेतन तय किया गया था। प्रदेश में वर्तमान में करीब 700 डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। हालांकि, पुराने डॉक्टरों को 56 हजार 600 रुपए का वेतन मिलता रहेगा, लेकिन नए डॉक्टरों को घटी हुई राशि मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि कांट्रैक्ट का हिस्सा काटने के बाद यह राशि 25 हजार रुपए के आसपास रह जाएगी। आमतौर पर कांट्रैक्ट डॉक्टर कुछ समय बाद पीजी करने या स्थायी पद पर चले जाते हैं। इसलिए भी ये निर्णय किया गया है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 28 अप्रैल, 2025

वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2082, भरणी नक्षत्र रात्रि 9:38 तक, आयुष्मान योग रात्रि 8:02 तक, किस्तुघ्न करण दिन 11:06 तक, चन्द्रमा रात्रि 2:54 से वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-मेष, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:32 तक, शुभ 9:10 से 10:47 तक, चर 2:02 से 3:34 तक, लाभ अमृत 3:34 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 5:55, सूर्यास्त 6:54

मेष
वर्तमान में चल रही परेशानियां दूर होने लगेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

मिथुन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

सिंह
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में दुर्घटना का भय है।

तुला
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक विवादों से मुक्त सकते हैं।

धनु
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम